स्पीड पोस्ट

पत्रांक--04 / एस.टी.ए.–पी3–128 / 2015 2855
29/5/17

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

नोटिस

बनाम

श्री रणधीर कुमार,
पिता–श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह,
ग्राम+पो0–मुरौरा, थाना– बिहारशरीफ,
जिला– नालन्दा,
पिन–803101.

सनद् हो कि जिला पदाधिकारी, नालंदा ने अपने पत्र संख्या–3267 दिनांक 26.05.2017 एवं जिला पदाधिकारी, पटना ने अपने पत्रांक–5713 दिनांक 27.05.2017 से जाँच कराकर अधोहस्ताक्षरी को यह सूचना दिया है कि आपने बस संख्या बी.आर.–21एल.–6221 में न तो परमिट के शर्तो का पालन किया और न ही मोटरवाहन अधिनियम तथा मोटरवाहन नियमावली के नियम 207 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 129 से 137 तक का पालन किया। जिसके कारण आपके उक्त बस में हरनौत बाजार के विश्वकर्मा चौक के पास आग लग गई, जिसमें 07 (सात) लोगों की मृत्यु हो गई । ऐसे साक्ष्य मिले है कि आपके द्वारा उक्त बस में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन किया जा रहा था तथा वाहन में अग्निशमन यंत्र, आपातकालिन द्वार की समूचित व्यवस्था नहीं थी।

आपका कृत्य बिहार मोटरवाहन नियमावली के नियम 207 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 129 से 137 के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा दंडनीय अपराध है।

जिला पदाधिकारी, पटना के द्वारा वाहन संख्या– बी.आर.–21पी.–4252, बी.आर.–1डी.–3094, बी.आर.–21जी.–6221 एव बी.आर.–21सी.–6221 की भी जाँच करायी गयी है एवं सभी वाहनों में परमिट के शर्तो के प्रतिकूल परिचालन करते हुए पाया गया है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में दिनांक 31.05.2017 के 11:00 बजे पूर्वाहन तक अधोहस्ताक्षरी के विश्वेश्वरैया भवन अवस्थित कार्यालय वेश्म में उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के तहत आपके वाहनों के संबंध में निर्गत सभी परमिटों को क्यों न रद्द कर दिया जाय।

स्थानः Patna

तिथिः 29.5.2017

29/5

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना ।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना